

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 5111/2022

सीता राम गौड़

—अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.08.2022

आदेश की दिनांक : 14.11.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :- मातादीन शर्मा, सदस्य

एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंडावर, झालावाड़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सूसा ब्लॉक नैनवा, जिला बूंदी 200 कि.मी. दूर किया गया। अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक का पदस्थापन नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.08.2021 एवं 25.1.2022 (अनुलग्नक-2) के द्वारा स्काउट गाइड गतिविधियों को संचालित एवं रिकार्ड संधारित करने हेतु लगाया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.1991 एवं 02.04.1993 (अनुलग्नक-3) के द्वारा स्काउटिंग का कार्य करने वाले अध्यापकों का स्थानान्तरण नहीं किए जाने के संबंध में जारी किए गए हैं। अपीलार्थी राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) जिला झालावाड़ का जिलाध्यक्ष है, जो राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने समय समय पर जारी परिपत्रों के विरुद्ध है। (अनुलग्नक-4)।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक-1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद पर

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंडावर, झालावाड़ में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक-1) के विरुद्ध अनुतोष चाहा है। राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारी संघ के पदाधिकारी का स्थानान्तरण इस आधार पर नहीं किया जावे कि वह संघ का पदाधिकारी है। अतः उपर्युक्त मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयवधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य